न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 39/2022 बउनवानी दीपक बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर बौंली
निवासी ग्राम व पोस्ट बपुई, तहसील बौंली

GCMS No-2022/69 **On line N0- 321759564650610**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
28.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रकरण संख्या 10/2019 एवं 4/2019 बजरंग लाल बनाम राजस्थान राज्य वगै. के मामले मे आपके कार्यालय से जारी नोटिस सूचना पत्र किस माध्यम से वादीगण संख्या 2 केलाश चन्द पुत्र मूलचन्द को तामील करवाये हस्ताक्षरयुक्त प्रतियो की प्रति उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के जवाब नोटिस क्रमांक पत्रांक कोर्ट/सू.अ.अपील/2022/1183 दिनांक 26.4.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाहे गये केलाश चन्द के नोटिस की प्रति बाद तामील न्यायालय मे प्राप्त नही होने एवं केलाश की ओर से दिनांक 24.7.2019 को श्री राजेश कुमार कुर्मी अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा पेश कर देने के कारण केलाश को न्यायालय मे हाजीर मानते हुए पुनः तलवी हेतु नोटिस जारी नही किया गया है। चूंकि न्यायालय मे उक्त नोटिस बाद तामील प्राप्त नही हुआ है इसलिए हस्ताक्षरयुक्त नोटिस की नकल दिया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना नही दी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रकरण संख्या 10/2019 एवं 4/2019 बजरंग लाल बनाम राज0 राज्य मे केलाश चन्द के नाम जारी नोटिस बाद तामील न्यायालय मे प्राप्त नही होने व केलाश की तरफ से अधिवक्ता हाजिर हो जाने के कारण पुनः नोटिस जारी नही किये जाने के कारण वांछित नोटिस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल रिकार्ड की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:19:32 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर